जी.आर.नं. 675/2023
परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023
नेट नं0 2642/2023

न्यायालय, अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।

BRKH020040812023

फार्म-ए

न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, खगड़िया।
उपस्थितः- जयप्रकाश किस्कु
अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।
निर्णय की तिथिः- 13.7.2026

जी0आर0नं0. 675/2023
नेट नं0 2642/2023

सूचिका	राज्य (द्वारा डोली कुमारी)
द्वारा	विद्वान अभियोजन पदाधिकारी, श्री पवन कुमार
अभियुक्त	1. गोलू सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष पे0 स्व0 सतीश सिंह, 2. गुलशन कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष पे0 र्मेन्द्र सिंह, 3. प्रशांत सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष पे0 शंभु सिंह, 4. लाल रतन सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष पे0 कृष्णानंद सिंह, 5. सुमित कुमार सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष पे0 संतोष सिंह, 6. आकाश सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष पे0 अमोल सिंह, 7. बादल सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष पे0 अनमोल सिंह सभी सा0 माधवपुर, थाना परवत्ता, जिला खगड़िया।
द्वारा	विद्वान अधिवक्ता, श्री आजाद ठाकुर

ACJM I
13-07-2026

Court of A.C.J.M. I, Khagaria
सत्यमेव जयते

फार्म बी

अपराध की तिथि	09.3.2026
प्रथमिकी दर्ज होने की तिथि	09.3.2026
आरोप पत्र की तिथि	16.9.023
आरोप का गठन	03.7.2026
साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि	09.7.2026
साक्ष्य बन्द होने की तिथि	09.7.2026
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	13.7.2026
निर्णय की तिथि	13.7.2026
सजा के बिन्दु पर आदेश यदि कोई हो	लागू नहीं

अभियुक्त का विस्तृत विवरण-

कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धारायें	दोषमुक्त किया गया अथवा दोषसिद्ध	आरोपित दण्ड	यदि विचारण के दौरान काराधीन रहने की अवधि धारा 428 द0प्र0सं0 के संबंध में।

जी.आर.नं. 675/2023 न्यायालय, अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।
परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023
नेट नं0 2642/2023

.

1	गोलू सिंह	लागू नहीं	20.7.23 एवं 29.6.26	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
2	गुलशन कुमार	लागू नहीं	20.7.23	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	प्रशांत सिंह	लागू नहीं	03.7.26	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	लालरतन सिंह	लागू नहीं	5.6.25	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	सुमित कुमार सिंह	लागू नहीं	20.7.23	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
6	आकाश सिंह	लागू नहीं	5.6.25	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं
7	बादल सिंह	लागू नहीं	5.6.25	323,341, 325,354ए, 379,384, 385,427/34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	लागू नहीं	लागू नहीं

ALJM I
13.07.2026

Court of A.C.J.M. I, Khagaria
सत्यमेव जयते

फार्म सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षियों की सूची .

अभियोजन साक्षी

कमांक	नाम	(सक्ष्य की प्रकृति)(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	अभियोजन साक्षी सं0 1. डॉली कुमारी	सूचिका
2.	अभियोजन साक्षी सं0 2.राकेश कुमार मिश्रा	अन्य साक्षी

जी.आर.नं. 675/2023
परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023
नेट नं0 2642/2023

न्यायालय, अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।

सफाई साक्षी . शून्य

न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो. शून्य

कमांक	**नाम**	**(सक्ष्य की प्रकृति)(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)**
न्यायालय साक्षी सं0	लागू नहीं	लागू नहीं

अभियेजन पक्ष/बचाव पक्ष/न्यायालय प्रदर्श सूची

अभियोजन प्रदर्श ; दस्तावेजी साक्ष्य

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	पी1/पीडब्लू1	सूचिका के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन पर सूचिका का हस्ताक्षर

बचाव पक्ष प्रदर्श– शून्य

न्यायालय प्रदर्श– शून्य

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	शून्य	शून्य

वस्तु प्रदर्श– शून्य

कमांक	**प्रदर्श संख्या**	**विवरण**
1	शून्य	शून्य

A CJM 2
13/07/2026

Court of A.C.J.M. I, Khagaria
सत्यमेव जयते

निर्णय

1. उपर्युक्त विचारण में अभियुक्त 1. गोलू सिंह, 2. गुलशन कुमार, 3. प्रशांत सिंह, 4. लाल रतन सिंह, 5. सुमित कुमार सिंह, 6. आकाश सिंह, 7. बादल सिंह को अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 354ए, 379, 384, 385, 427/34 भा0द0वि0 के आरोप से आरोपित किया गया है।

2. सूचिका डोली कुमारी के द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9.3.2023 को समय 6.30 बजे सुबह में सूचिका का पति राकेश मिश्रा अपने मुर्गा फारम दुकान पर पिकअप गाडी से लगभग 01 क्विंटल मुर्गा लाया। उसके बाद सुमित कुमार सिंह दुकान पर आया और कहा कि मुझे बीस किलो मुर्गा दो, इसी बीच सूचिका के गांव के लाल रतन सिंह आया और कहा कि सुमित कुमार सिंह को मुर्गा देना होगा। सूचिका का पति राकेश मिश्र कहा कि आर्डर पर मुर्गा लाये हैं ग्राहक को देना है मेरे पास मुर्गा नहीं बचेगा। इस बात पर लाल रतन सिंह जबरन करते हुए सूचिका के पति राकेश मिश्रा एवं लाल रतन सिंह में बकवास होने लगा। बादल सिंह, लाल रतन सिंह, सुमित

कुमार सिंह, आकाश सिंह, गुलशन कुमार सिंह, प्रशांत सिंह, गोलू सिंह एकमत होकर एक साथ जुटकर गाली गलौज करते हुए लाठी डंडा के साथ सूचिका के पति के मुर्गा फार्म दुकान पर आकर गाली गलौज करना शुरू कर दिया। किसी तरह सूचिका के पति राकेश मिश्र जान बचाकर भाग गये लेकिन उसके बाद भी सूचिका के घर पर आकर गाली गलौज करते हुए धमकी दिया कि पुनः दुकान पर जाओगे तो जान से मार देंगें। सूचिका जब सभी को समझाने गयी तो उक्त सभी व्यक्ति गाली गलौज करते हुए दो लाख रूपया रंगदारी के रूप में मांगते हुए सूचिका का झोंटा पकड़कर पटक दिया तथा सभी मिलकर काफी मारपीट किया।उसके बाद पुनः दुकान पर जाकर रखे मोटरसाईकिल का डिकवर का चूर कर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा दुकान में से चौदह हजार रूपया ले लिया तथा बिजली का तार वगैरह चूर कर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे मुर्गी का बच्चा सब मरने पर है और कुछ मर गया।

3. सूचिका के द्वारा दिये गये टंकित आवेदन के आधार पर परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023 दिनांक 9.3.2023 को धारा 341, 323, 325, 354(ए) ,379, 384, 385, 427/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज किया गया तब से यह वाद अस्तित्व में आया।

4. इस वाद के अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा अनुसंधानोपरान्त परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023 का आरोप पत्र सं0 304/2023 दिनांक 6.9.2023 धारा 341, 323, 325, 354(ए) 379, 384, 385, 427/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध विद्वान अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, खगड़िया के न्यायालय में दिनांक 27.9.2023 को समर्पित किया गया तथा वाद स्थानान्तरण के पश्चात इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उपरोक्त सभी अभियुक्तों के विरूद्ध दिनांक 3.1.2025 को धारा 341, 323, 325, 354(ए) 379, 384, 385, 427/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया।

A/JM2
13.07.2026
Court of A.C.J.M. I, Khagaria
सत्यमेव जयते

5. दिनांक 03.7.2026 को उपरोक्त अभियुक्तों 1. गोलू सिंह, 2. गुलशन कुमार, 3. प्रशांत सिंह, 4. लाल रतन सिंह, 5. सुमित कुमार सिंह, 6. आकाश सिंह, 7. बादल सिंह के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 354(ए) ,379, 384, 385, 427/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन कर कर आरोप को हिन्दी में पढ़कर न्यायालय द्वारा सुनाया एवं समझाया गया, जिसे सुन समझकर अभियुक्तों ने आरोप से इन्कार किया तथा वाद विचारण का दावा किया।

6. दिनांक 09.7.2026 को इस वाद के अभियुक्तों का 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने अपने आपको निर्दोष बताया।

7. अब न्यायालय के समक्ष एकमात्र विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तों के विरूद्ध अपने मामले को युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

<u>मंतव्य</u>

8. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में सूचिका सहित कुल दो साक्षियों, अभियोज साक्षी सं0 1 डॉली कुमारी जो वाद की स्वयं सूचिका हैं एवं अभियोज साक्षी सं0 2.राकेश कुमार मिश्रा को प्रस्तुत कर साक्ष्य कराया गया है।

जी.आर.नं. 675/2023
परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023
नेट नं0 2642/2023

न्यायालय, अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. अभियोजन साक्षी सं0 1. डॉली कुमारी जो, वाद की सूचिका हैं, उन्होंने परीक्षण में कही है कि यह घटना 2023 का समय 7-8.00 बजे दिन की है। मेरे पति राकेश कुमार मिश्रा जो मुर्गा का दुकान चलाते हैं, तो वह मुर्गा का जो आर्डर दिये थे, मुर्गा देने बिंदन कुमार आया। फिर बीच में लालरतन कुमार आये और वो भी बोले कि सुमित को मुर्गा बिना ऑर्डर का देना पड़ेगा तो मेरे पति राकेश बोले कि तुम आर्डर नहीं दिये तो तुमको मुर्गा नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। उधर से 6-7 लोग जिनका नाम बादल, सुमित, आकाश, गोलू, गुलशन और प्रशांत आये और मेरे दुकान का तोड़ फोड़ किये जिसमें मुर्गा का चूजा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया तो मेरे पति वहां से भाग गये। उसके बाद ये लोग मेरे घर आये। घर पर आकर धक्का मुक्की किये। उसके बाद मुदालय अपने घर चले गये। मेरे से रंगदारी भी मांगा गया। रंगदारी का रकम डेढ लाख रूपया है। यह टंकित आवेदन में मेरा हस्ताक्षर है जिसे मैं पहचानती हूँ जिसे प्रदर्श <u>पी1/पीडब्लू1</u> अंकित किया गया। सूचिका न्यायालय में उपस्थित मुदालयों को पहचानने का दावा करती हैं

ACJM2 13.07.2026

प्रतिपरीक्षण में कहती है कि मुझसे रंगदारी मांगा गया था। सभी मुदालयों के साथ मेल मिलाप हो गया है। मेरे साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई थी। मुझसे पैसा नहीं मांगा गया था। मुदालय लोग मेरे रिश्तेदार हैं। जो रूपया था वह धक्का मुक्की में गिर गया था और बाद में मिल गया।

11. अभियोजन साक्षी सं0 2. राकेश कुमार मिश्रा ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि यह घटना 2023 की समय सात बजे सुबह के आसपास की है। घटना माधवपुर स्थित टीन टावर के सामने मेरे मुर्गी फारम पर हुई थी। उस समय मैं अपने मुर्गी फारम पर ही था। मैं और सुमित मुर्गी का व्यवसाय करता था, उसी कम में हम दोनों के बीच में व्यापार को लेकर झड़प हो गय था। उस समय मेरे दुकान पर लालरतन, बादल सिंह, आकाश सिंह, सुमित सिंह, गुलशन सिंह, प्रशांत सिंह और गोलू सिंह आये थे। झड़प के बाद हमलोग अपने अपने घर चले गये। जो लोग झड़प करने आये थे उसको पहचानता हूँ। आज न्यायालय में सभी अभियुक्त उपस्थित हैं जिन्हें मैं पहचानता हूँ।

प्रतिपरीक्षण में कहा है कि लड़ाई झगड़ा हुई थी लेकिन मुझसे कोई रंगदारी की मांग नहीं की गयी। मेरे साथ कोई रूपया की चोरी नहीं हुई। हमलोगों के बीच मेल मिलाप हो गया है और छेड़छाड़ भी नहीं हुई। समझौता आवेदन पर मेरा हस्ताक्षर है। यह मुकदमा समाप्त कर दिया जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

12. चूँकि प्रस्तुत वाद में सुलह की बात कही गयी है तथा वाद में उभय पक्षों की ओर से एक संयुक्त संधि आवेदन दिनांक 20.7.2023 दाखिल किया गया है, जिस पर सूचिका, अभियुक्तों एवं उनके विद्वान अधिवक्तागण का हस्ताक्षर है, इसलिये सर्वप्रथम सुलह के बिन्दु पर विचार किया जाना आवश्यक है। आरोपित धाराओं में धारा 323, 341, 325, 379, 427 भा0द0वि0 दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 320(8) के अन्तर्गत सुलहनीय है, अतः उपलब्ध संधि आवेदन को स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त नामित अभियुक्तों 1. गोलू सिंह, 2. गुलशन कुमार, 3. प्रशांत सिंह, 4. लाल रतन सिंह, 5. सुमित कुमार सिंह, 6. आकाश सिंह, 7. बादल सिंह

जी.आर.नं. 675/2023 न्यायालय, अ0मु0न्या0दण्डा0 प्रथम, खगड़िया।
परवत्ता थाना कांड सं0 100/2023
नेट नं0 2642/2023

को भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 325, 379, 427 भा0द0वि0 के आरोप से सुलह के आधार पर धारा 320(8) द0प्र0सं0 के अन्तर्गत रिहा किये जाने योग्य है।

13. धारा 354ए, 384, 385 भा0द0वि0 के अन्तर्गत लगाये गये आरोप का प्रश्न है, अभियोजन की ओर से सूचिका सहित प्रस्तुत किये गये दोनों साक्षियों में से किसी ने इस धारा हेतु कोई भी सकारात्मक कथन नहीं किया है तथा इस धारा के अन्तर्गत अपराध का आवश्यक तथ्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

14. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन अपने वाद को युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में सफल नहीं रहा है। अभियोजन की असफलता अभियुक्त को दोषमुक्त कर रिहा होने का हकदार बनाती है। अतएव

आदेश

15. अभियुक्तों 1. गोलू सिंह, 2. गुलशन कुमार, 3. प्रशांत सिंह, 4. लाल रतन सिंह, 5. सुमित कुमार सिंह, 6. आकाश सिंह, 7. बादल सिंह को अन्तर्गत धारा 323, 341, 325, 379, 427/34 भा0द0वि0 के आरोप से सुलह के आलोक में तथा धारा 354ए, 384, 385/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अपराध से पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर रिहा किया जाता है तथा उनके जमानतदारों को उसके बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

टंकित, शुद्धित व खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, खगड़िया।
दिनांक 13.7.2026

लेखापित

अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, खगड़िया।
दिनांक 13.7.2026